संख्या– स्था0–06 /सत्तर–3–2019–स्था0(01)/2016

प्रेषक,

मनोज कुमार
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 09 मार्च, 2019

विषयः– प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के अध्यापकों के स्थानान्तरण की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–नि0(उ0शि0)/एकल स्था0/495/2018–19, दिनांक 08.03.2019 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव/संस्तुतियों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानान्तरण नियमावली (प्रथम संशोधन) 2006 के विहित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचार करते हुए शासन के पत्र सं0–स्था–44/सत्तर–3–2018–स्था(01)/2018, दिनांक 15 जुलाई, 2018 द्वारा डा0 कल्याणी द्विवेदी, असि0 प्रोफेसर–शारीरिक शिक्षा, महिला पी0जी0 काजेल, बस्ती का महिला विद्यालय डिग्री कालेज, लखनऊ में किया गया एकल स्थानान्तरण निरस्त करते हुए अधोतालिका के **स्तम्भ–04** में अंकित महाविद्यालय में एकल स्थानान्तरण की अनुमति प्रदान की जाती है :–

क्र.	अध्यापक का नाम/ पदनाम तथा कार्यरत महाविद्यालय का नाम	विषय	महाविद्यालय का नाम जहाँ के लिये स्थानान्तरण किया गया है।
1	2	3	4
1	**डा0 कल्याणी द्विवेदी, असिस्टेन्ट प्रोफेसर,** महिला पी0जी0 कालेज, बस्ती।	शारीरिक शिक्षा विभाग	कालीचरन पी0जी0 कालेज, लखनऊ

2– उपरोक्त एकल स्थानान्तरण की अनुमति दोनों महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र से प्राप्त अनापत्ति के आधार पर प्रदान की गयी है। महाविद्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/अभिलेख का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र का होगा। इस सम्बन्ध में कोई भी सूचना असत्य पाये जाने की स्थिति में एकल स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

भवदीय,

(मनोज कुमार)
विशेष सचिव।

संख्याः–स्था0–06 (1)/सत्तर–3–2019– तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) कुलसचिव, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, सिद्धार्थनगर।
(2) कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
(3) जिला विद्यालय निरीक्षक, सिद्धार्थनगर/लखनऊ।
(4) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।
(5) सचिव, उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, 18–ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
(6) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
(7) वेबमास्टर, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
(8) विभागीय आदेश पुस्तिका हेतु।

डॉ0 (आर0 के0 चतुर्वेदी)
अपर सचिव
उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद
लखनऊ

29.3.19

आज्ञा से,

(श्रवण कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।